सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| माघ 04, शुक्रवार, *शाके 1946*- जनवरी 24, 2025<br>*Magha 04, Friday, Saka 1946- January 24, 2025* | |

**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**गृह (ग्रुप–9) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, जनवरी 17, 2025**

**संख्या प. 35(1) गृह–9/2006 पार्ट :-**राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत&पाक सीमा पर घुसपैठिए एवं राष्ट्रविरोधी तत्व सीमा पार कर इस क्षेत्र में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते है। जिससे जन सुरक्षा एवं शान्ति भंग होने का पूर्ण अंदेशा है एवं जिले से सटी हुई पाकिस्तान बार्डर के नजदीक पाकिस्तान में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है जिससे पाकिस्तान से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है एवं जिले से लगने वाली भारत पाक सीमा पर पीएसओं, ई मेल के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों एवं अवां छनीय गतिविधियों में लिप्त आपराधिक आचरण करने वाले व्यक्ति विदेशी काल्स/संदेश का प्रयोग कर जन सुरक्षा एवं शांति भंग होने का पूर्ण अंदशा है फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे के दृष्टिकोण से पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग करने बाबत् प्रतिबन्ध लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।

राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट है कि भारत पाक सीमा के जैसलमेर जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 10681, 10699 एवं 10697 दिनांक 12.12.2024 द्वारा लागू किये गये आदेश (प्रतिबन्ध) की अवधि बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 10681, 10699 एवं 10697 दिनांक 12.12.2024 की अवधि एत्दद्वारा आगामी छः माह तक बढ़ाई जाती है।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

पूजा पार्थ,

**संयुक्त शासन सचिव।**

8861

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**